न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व /विविध प्रार्थना–पत्र/रा.का.अधि./40/2019/बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. मोहनराम पुत्र अमराराम वगै. **बनाम** 1.भीयांराम पुत्र लिखमाराम वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते राजस्व अपील संख्या 19/2019 में पारित एकतरफा आदेश दिनांक 12.07.2019 के विरूद्ध पेश हुआ।

उपस्थित

1. वकील श्री देवीलाल कुमावत प्रार्थीगण की ओर से
2. वकील श्री हरीराम चौधरी विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 22.10.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि राजस्व अपील के सम्मन उतरदातागण को कभी भी प्राप्त नहीं हुए है। अपील के सम्मन अपीलांट द्वारा भेजे गये है, उन्हें स्वयं अपीलांट द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी से मिलभगत कर हम उतरदातागण तक नहीं पंहुचने दिये गये। उतरदातागण को राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई केवियट प्रार्थना–पत्र की प्रति प्राप्त होने पर इस राजस्व अपील में हुए निर्णय की जानकारी हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा उतरदातागण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भेजे जाने के आदेश पारित किये गये किन्तु अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड डाक के साथ ए.डी. प्रस्तुत ही नहीं की गई ताकि ए.डी. पुनः न्यायालय में प्राप्त नहीं हो। प्रार्थी/ उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा को अंधेरे में रख कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः–

RRT 2014-15(Supp.) Page 68

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे।

वकील विप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि डाक विभाग से अपीलांट द्वारा की गई मिलावट का कोई सबूत प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। उतरदाता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा गलत पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील विचाराधीन है। उतरदातागण द्वारा डाक विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाही की होती तो पेश करते। उतरदातागण मामले को लंबा कर न्यायालय का समय जायी कर रहे है। उतरदातागण के इस आपति पूर्ण रवैय का कही अंत नजर नहीं आ रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा उतरदातागण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना जानबूझकर अनुपस्थित रहे है। अधिवक्ता विप्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखि न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 2009 Page 116
RLW 2007(2) Page 810

उतरदातागण द्वारा पेश आवेदन खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि न्यायालय हाजा द्वारा उतरदातागण के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये जिसमें यदि तामिल संबंधी कार्यवाही में किसी प्रकार की त्रुटि डाक विभाग द्वारा जानबूझकर की गई है तो उतरदातागण डाक विभाग के विरूद्ध समक्ष स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र है। हस्तगत प्रकरण को न्यायालय हाजा द्वारा सुना जा चुका है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलांट पृथक खातेदारी खेत का खातेदार है इसलिए उसके खातेदारी हक–हकूकों और उपयोग/उपभोग के अधिकारों में दखल देने का कोई हक रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को प्राप्त नहीं होता। उतरदातागण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र में जो मुद्दे उठाये गये है उससे संबंधी किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जो काल्पनिक व विधि सम्मत नहीं लग रहा है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में उतरदातागण/प्रार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा प्रार्थी/उतरदातागण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

22/10/19

(नाथूसिंह राठौड़) अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/10/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner